न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 147/2024

प्रार्थीगण :–

1.आदूराम पुत्र हिम्मताराम
2.सोहनलाल पुत्र नारायणराम
3.किशनाराम पुत्र नारायणराम
4.श्रीमति आसी पत्नी नारायणराम
5.श्रीमति गुटकी पत्नी भीयाराम जातियान जाट निवासीगण रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6.जोधाराम पुत्र मूलाराम
7.मोटाराम पुत्र मूलाराम
8.रामाराम पुत्र मूलाराम जातियान जाट निवासीगण रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1.अमराराम पुत्र घीसाराम
2.भीखाराम पुत्र घीसाराम जातियान जाट निवासीगण रावर तहसील बिलाडा
3.मोहनी पुत्री घीसाराम पत्नी पूनाराम जाति जाट निवासी भटिण्डा तहसील लूणी जिला जोधपुर
4.श्यामलाल पुत्र अणदाराम
5.सूजाराम पुत्र अणदाराम जातियान जाट निवासीगण रावर तहसील बिलाडा
6.गुडडी पुत्री अणदाराम पत्नी रमेश जाति जाट निवासी लोलावास तहसील व जिला जोधपुर
7.लक्ष्मी पुत्री अणदाराम पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी कापरडा तहसील बिलाडा
8.सेणकी पत्नी अणदाराम जाति जाट निवासी रावर तहसील बिलाडा
9.सायरी पुत्री भोमाराम पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी बीनावास तहसील बिलाडा
10. दरिया पुत्री भोमाराम पत्नी जोगाराम जाति जाट निवासी भटिण्डा तहसील लूणी जिला जोधपुर
11.सेणी पुत्री भोमाराम पत्नी नारायणराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
12. बलदेवराम पुत्र जीताराम
13. फेफीदेवी पत्नी जीताराम
14. सेनाराम पुत्र नंदाराम
15. नाथूराम पुत्र ढगलाराम
16. जसकी पत्नी ढगलाराम
17. देवाराम पुत्र शिवदान
18. जोगाराम पुत्र शिवदान
19. किस्तुरराम पुत्र शिवदान जातियान जाट निवासीगण रावर तहसील बिलाडा
20. श्रीमति अहिल्या पत्नी माणकचन्द जाति ब्राहमण निवासी रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

21. श्रीमति मीमा पत्नी राधेश्याम जाति नाई निवासी रावर तहसील बिलाडा
22. श्रीमति पुष्पा पत्नी कालूराम जाति ब्राहमण निवासी रावर तहसील बिलाडा
23. श्रीमति सुगनादेवी पत्नी दीनानाथ जाति नाथ निवासी रावर तहसील बिलाडा जाति जोधपुर
24. मोतीलाल पुत्र भगवानराम जाति सुथार निवासी रावर तहसील बिलाडा
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण – श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 से 24 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 25– सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :–21/04/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 70 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 72 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन लाटा कुल खसरा 3 कुल रकबा 88 बीघा 16 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी भूमि घीसाराम, भोमाराम, जीताराम, नंदाराम पिसरान खरताराम 1/4 हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र प्रभुराम 1/4 हिस्सा, शिवदान पुत्र प्रभु 1/4 हिस्सा, मूलाराम पुत्र पन्नाराम 1/4 हिस्सा की थी। जो खतौनी बंदोबस्त संवत् 2017 जमाबंदी संवत् 2029 से 2032, जमाबंदी 2033 से 2037, जमाबंदी संवत् 2037 से 2040, जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 वास्ते सबूत साथ मे पेश है। खातेदार धीसाराम, भोमाराम, जीताराम, नंदाराम पिसरान खरताराम 1/4 हिस्सा की वंशावली वाद पैरा सं. 2 के अनुसार वर्णित है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में धीसाराम, भोमाराम, जीताराम, नंन्दाराम पिसरान खरताराम का 1/4 हिस्सा है। जिसमें से प्रत्येक का 1/16 – 1/16 वां हक हिस्सा जरिये उताराधिकार के तौर पर है। घीसाराम पुत्र खरताराम की भूमि अमराराम, भीखाराम, हरकू के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजशुदा है। जिसमें से हरकू का देहान्त हो चुका है। इस कारण हरकू के देहान्त के बाद उसके हक व हिस्से की भूमि उसके दो पुत्र अमराराम, भीखाराम व उसकी पुत्री मोहनी में विभक्त होगीं। इस प्रकार खातेदार घीसाराम पुत्र खरताराम 1/16 वां हिस्सा की भूमि में अमराराम पुत्र घीसाराम का 4/144 वां हिस्सा, भीकाराम पुत्र घीसाराम का 4/144 वा हिस्सा, मोहनी पुत्री घीसाराम का 1/144 वां हिस्सा है। इसी प्रकार खातेदार भोमाराम पुत्र खरताराम का 1/16 वां हिस्सा की भूमि में श्यामलाल पुत्र अणदाराम का 1/320 वां हिस्सा, सुरजाराम पुत्र अणदाराम का 1/320 वां हिस्सा, गुड्डी पुत्री अणदाराम का 1/320 वां हिस्सा, लक्ष्मी पुत्री अणदाराम का 1/320 वां हिस्सा, सेणकी पत्नी अणदाराम का 1/320 वां हिस्सा, सायरी पुत्री भोमाराम 1/64 वां हिस्सा, दरिया पुत्री भोमाराम 1/64 वां हिस्सा, सेणी पुत्री भोमाराम 1/64 वां हिस्सा है। इसी प्रकार जीताराम पुत्र खरताराम का 1/16 वां हिस्सा की भूमि में

बलदेवराम पुत्र जीताराम का 1/32 वां हिस्सा, फेंफी पत्नी बलदेवराम का 1/32 वां हिस्सा है। इसी प्रकार नन्दाराम पुत्र खरताराम का 1/16 वां हिस्सा सोनाराम पुत्र नन्दाराम 1/32 वा हिस्सा, नाथूराम पुत्र ढगलाराम 1/64 वां हिस्सा, जसकी पत्नी ढगलाराम 1/64 वां हिस्सा है। खातेदार हिम्मताराम पुत्र प्रभुराम 1/4 हिस्सा की वंशावली वाद के पैरा सं. 3 के अनुसार वर्णित है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद सख्या 1 में वर्णित भूमि मे हिम्मताराम पुत्र प्रभुराम का 1/4 वां हिस्सा है। हिम्मताराम के देहान्त के बाद उसके दो पुत्र आदूराम व नारायणराम के नाम से भूमि को इन्द्राज की गयी। इस कारण आदूराम पुत्र हिम्मताराम का 1/8 हिस्सा व नारायणराम पुत्र हिम्मताराम का 1/8 हिस्सा है। जिसमें से आदूराम पुत्र हिम्मताराम ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा की भूमि का अलग अलग पांच बैचाननामा निष्पादित कर दिये गयें। जिसके अनुसार आदूराम पुत्र हिम्मताराम ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा मे से 1/8 हिस्सा (यानि 8 बीघा 19 बिस्वा) मे से 2 बिस्वा भूमि को श्रीमती अहिल्या पत्नी माणकचन्द को तथा 7 बिस्वा भूमि को श्रीमती मीमा पत्नी राधेश्याम को तथा 8 बिस्वा भूमि को श्रीमती पुष्पा पत्नी कालूराम को तथा 20 बिस्वा भूमि को श्रीमती सुगनादेवी पत्नी दीनानाथ को तथा 20 बिस्वा भूमि को श्रीमती रुकमा पत्नी मोतीलाल को बैचान कर दी गयी है। इस प्रकार आदूराम द्वारा भूमि खसरा नम्बर 71 मे से अपना 1/8 हिस्सा मे से कुल 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बैचान करने के बाद उसका शेष 122/179.12 वां हिस्सा, अहिल्या पत्नी माणकचन्द 2/179.12 वां हिस्सा, मीमा पत्नी राधेश्याम 7/179.12 वां हिस्सा, पुष्पा पत्नी कालूराम 8/179.12 वां हिस्सा, सुगनादेवी पत्नी दीनानाथ 20/179.12 वां हिस्सा, मोतीलाल पुत्र भगवानराम 20/179.12 वा हिस्सा है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 71, 70, 72 मे नारायणराम पुत्र हिम्मताराम का 1/8 हिस्सा है, नारायणराम के देहान्त के बाद उसके उतराधिकारी सोहनलाल पुत्र नारायणराम 1/32 वां हिस्सा, किशनाराम पुत्र नारायणराम 1/32 वां हिस्सा, आसी पत्नी नारायणराम 1/32 वां हिस्सा, गुटकी पत्नी भीयाराम 1/32 वां हिस्सा है तथा भूमि खसरा नम्बर 70,72 मे आदूराम पुत्र हिम्मताराम का 1/8 वा हिस्सा है। खातेदार शिवदान पुत्र प्रभुराम 1/4 हिस्सा की वंशावली वाद के पैरा सं. 4 के अनुसार वर्णित कें उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद सख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 70, 71, 72 मे शिवदान पुत्र प्रभुराम का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार शिवदान पुत्र प्रभुराम की भूमि मे देवाराम पुत्र शिवदान 1/12 वा हिस्सा, जोगाराम पुत्र शिवदान 1/12 वां हिस्सा, किस्तूरराम पुत्र शिवदान 1/12 वां हिस्सा है। खातेदार मूलाराम पुत्र पन्नाराम 1/4 हिस्सा की वंशावली वाद के पैरा सं.5 के अनुसार वर्णित है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद सख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 70, 71, 72 मे मूलाराम पुत्र पन्नाराम का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार मूलाराम पुत्र पन्नाराम की भूमि मे जोधाराम पुत्र मूलाराम 1/12 वां हिस्सा, मोटाराम पुत्र मूलाराम 1/12 वां हिस्सा, रामाराम पुत्र मूलाराम 1/12 वां हिस्सा है। प्रार्थीगण पिछले दो माह पूर्व अपनी खातेदारी भूमि पर फसल ऋणी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गये

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिजावा

तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की नकल प्रार्थीगण को दी गयी तो प्रार्थीगण को जानकारी हुयी कि जमाबंदी मे हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है तब प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 के बाद जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 की जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 6 से 8 का 1/4 हिस्सा के बजाय 1/8 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है और हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को बताया कि आप सक्षम न्यायालय से शुद्धि करवाओं तब आपका नाम रेकर्ड से शुद्ध कर दिया जायेगा। जिस पर प्रार्थीगण दिनांक 11.06.2024 को तहसील कार्यालय विलाडा मे गये और भूमि खसरा नम्बर 70,71,72 की जमाबंदी आदि की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु तहसीलदार बिलाडा (भू अभिलेखागार) के कार्यालय में नकल आदेवन पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 18.06.2024 को भूमि खसरा नम्बर 70, 71, 72 की जमाबंदी संवत् 2029 से 2032, जमाबंदी संवत् 2033 से 2037, जमाबंदी संवत् 2037 से 2040, जमाबंदी संवत् 2042 से 2045, जमाबंदी संवत् 2046 से 2049, जमाबंदी संवत् 2050 से 2053, जमाबंदी संवत् 2053 से 2056, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्राप्त किया तो प्रार्थीगण को मालूम हुआ कि भूमि खसरा नम्बर 70, 71, 72 में प्रार्थीगण का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया कें पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा की जमाबंदी संवत् 2029 से 2032, 2033 से 2037, 2037 से 2040, 2042 से 2045, 2046 से 2049 में पक्षकारों का हिस्सा सही दर्ज है तथा उसके बाद आगे की जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में अप्रार्थी संख्या 1 से 19 का हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 6 से 8 का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है तथा आगे की जमाबंदी सवत् 2053 से 2056, 2066 से 2069, 2074 से 2077 मे बदस्तूर चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि का सही हिस्सा दर्ज कराने हेतु यह रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश से या बैचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है तथा न कोई म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अतः पटवारी द्वारा बीना आधार एवं अनाधिकृत तौर से रेकर्ड में गलत हिस्सा को दर्शाने में भूल की गयी है, जिसे पुनः खातेदार के नाम हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की भूमि खासरा नम्बर 71 रकबा 71 बीघा 13 बिस्वा (11.5930 हैक्टेयर) की जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 की दुरुस्ती की जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सवत् 2074 से 2077 में प्रार्थी संख्या 1 का 122/179.12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/32 वां हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तथा प्रार्थी संख्या 3 का 1/32 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 4 का 1/32 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 5 का 1/32 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 6 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 7 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 8 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 4/144 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 4/144 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/144 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 6 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 7 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 8 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 9 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 10 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 11 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 12 का 1/32 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 13 का 1/32 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 14 का 1/32 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 15 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 16 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 17 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 18 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 19 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 20 का 2/179.12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 21 का 7/179.12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 22 का 8/179.12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 23 का 20/179.12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 24 का 20/179.12 वां हिस्सा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। तथा इसी प्रकार ग्राम रावर तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 12 बिस्वा (0.0971 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 72 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा (2. 6778 हैक्टेयर) कुल खसरा 2 कुल रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा (2. 7749 हैक्टेयर) की जमाबंदी सवत् 2050 से 2053 की दुरूस्ती की जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवत् 2074 से 2077 में प्रार्थी संख्या 1 का 1/8 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/32 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 3 का 1/32 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 4 का 1/32 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 5 का 1/32 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 6 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 7 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 8 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 4/144 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 4/144 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/144 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 6 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 7 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 8 का 1/320 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 9 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 10 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 11 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 12 का 1/32 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 13 का 1/32 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 14 का 1/32 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 15 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 16 का 1/64 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 17 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 18 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 19 का 1/12 वां हिस्सा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अन्य कोई उचित आदेश प्रार्थीगण के पक्ष मे हो अता फरमावें।

सहायक कलक्टर
एवं ... अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 24 की ओर से स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 24 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 25 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर की सरहद में स्थित खसरा नंबर 71 रकबा 71-13 बीघा, किस्म चाही द्वितीय, खसरा नंबर 70 रकबा 0-12 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 72 रकबा 16-11 बीघा किस्म गै. मु.लाटा कुल खसरा 3कुल रकबा 88-16 बीघा आई हुई है। जो वक्त बन्दोबस्त घीसाराम, भोमाराम, जीताराम, नंदाराम पि. खरताराम 1/4, हिम्मताराम पुत्र प्रभुराम 1/4, शिवदान पुत्र प्रभु 1/4, मूला पुत्र पन्नाराम 1/4 की संयुक्त खातेदारी में थी। उपरोक्त खातेदारों के फौत हो जाने से सभी की वंशावली अलग से तैयार कर जवाब के साथ प्रेषित है। उपरोक्त खसरा नंबरान में पूर्व में हिस्से खुले हुई नहीं थे। लेकिन सेग्रीगेशन के समय सभी खातेदारों के हिस्से तय किये जाने में लिपिकीय भूल से हिस्से गलत दर्ज हो गये। पटवारी हल्का द्वारा सभी काश्तकारों की सहमति से हिस्से तय कर प्रस्तुत किये है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रावर के खसरा नंबर 71 रकबा 71-13 बीघा, खसरा नंबर 70 रकबा 0-12 बीघा, खसरा नंबर 72 रकबा 16-11 बीघा में सेग्रीगेशन के दौरान गलत दर्ज किये हिस्सों में दुरस्ती किया जाना उचित है।

खसरा नंबर 71 रकबा 11.5900 प्रस्तावित हिस्सा शुद्धि

1. अमराराम पुत्र घीसाराम 1/36 जाति जाट
2. मोहनी पुत्री घीसाराम 1/144 जाति जाट
3. भीखाराम पुत्र घीसाराम 1/36 जाति जाट
4. अहिल्या पत्नी माणकचन्द 2/1443 जाति ब्राहमण
5. आदूराम पुत्र हिम्मताराम 329/3848 जाति जाट
6. आसी पत्नी नारायणराम 1/32 जाति जाट
7. किशनाराम पुत्र नारायणराम 1/32 जाति जाट
8. किस्तुरराम पुत्र शिवदान 1/12 जाति जाट
9. गुटकी पत्नी भीयाराम 1/32 जाति जाट
10. गुडडी पुत्री अणदाराम 1/320 जाति जाट
11. जसकी पत्नी ढगलाराम 1/64 जाति जाट
12. जोगाराम पुत्र शिवदानराम 1/12 जाति जाट
13. जोधाराम पुत्र मूलाराम 1/12 जाति जाट
14. दरिया पुत्री भोमाराम 1/64 जाति जाट
15. देवाराम पुत्र शिवदान 1/12 जाति जाट
16. नाथूराम पुत्र ढगलाराम 1/64 जाति जाट
17. पुष्पा पत्नी कालूराम 8/1443 जाति जाट
18. फेफीदेवी पत्नी जीताराम 1/32 जाति जाट
19. बलदेवराम पुत्र जीताराम 1/32 जाति जाट
20. मीमा पत्नी राधेश्याम 7/1443 जाति ब्राहमण

सहायक कलक्टर
एवं ... अधिकारी

21. मोटाराम पुत्र मूलाराम 1/12 जाति जाट
22. मोतीलाल पुत्र भगवानराम 20/1443 जाति ब्राहमण
23. रामाराम पुत्र मूलाराम 1/12 जाति जाट
24. लक्ष्मी पुत्री अणदाराम 1/320 जाति जाट
25. श्यामलाल पुत्र अणदाराम 1/320 जाति जाट
26. सुगनादेवी पत्नी दीनानाथ 20/1443 जाति सुथार
27. सेणकी पत्नी अणदाराम 1/320 जाति जाट
28. सेणी पुत्री भोमाराम 1/64 जाति जाट
29. सूजाराम पुत्र अणदाराम 1/320 जाति जाट
30. सायरी पुत्री भोमाराम 1/64 जाति जाट
31. सोनाराम पुत्र नंदाराम 1/32 जाति जाट
32. सोहनलाल पुत्र नारायणराम 1/32 जाति जाट

<u>खसरा नंबर 70 व 72 रकबा 2.7749 प्रस्तावित हिस्सा शुद्धि</u>

1. अमराराम पुत्र घीसाराम 1/36 जाति जाट
2. मोहनी पुत्री घीसाराम 1/144 जाति जाट
3. आदूराम पुत्र हिम्मताराम 1/8 जाति जाट
4. आसी पत्नी नारायणराम 1/32 जाति जाट
5. किशनाराम पुत्र नारायणराम 1/32 जाति जाट
6. किस्तुरराम पुत्र शिवदान 1/12 जाति जाट
7. गुटकी पत्नी भीयाराम 1/32 जाति जाट
8. गुडडी पुत्री अणदाराम 1/320 जाति जाट
9. जसकी पत्नी ढगलाराम 1/64 जाति जाट
10. जोगाराम पुत्र शिवदान 1/12 जाति जाट
11. जोधाराम पुत्र मूलाराम 1/12 जाति जाट
12. दरिया पुत्री भोमाराम 1/64 जाति जाट
13. देवाराम पुत्र शिवदान 1/12 जाति जाट
14. नाथूराम पुत्र ढगलाराम 1/64 जाति जाट
15. फेफीदेवी पत्नी जीताराम 1/32 जाति जाट
16. बलदेवराम पुत्र जीताराम 1/32 जाति जाट
17. भीकाराम पुत्र घीसाराम 1/36 जाति जाट
18. मोटाराम पुत्र मूलाराम 1/12 जाति जाट
19. रामाराम पुत्र मूलाराम 1/12 जाति जाट
20. लक्ष्मी पुत्री अणदाराम 1/320 जाति जाट
21. श्यामलाल पुत्र अणदाराम 1/320 जाति जाट
22. सेणकी पत्नी अणदाराम 1/320 जाति जाट
23. सेणी पुत्री भोमाराम 1/64 जाति जाट
24. सूजाराम पुत्र अणदाराम 1/320 जाति जाट
25. सायरी पुत्री भोमाराम 1/64 जाति जाट
26. सोनाराम पुत्र नंदाराम 1/32 जाति जाट
27. सोहनलाल पुत्र नारायणराम 1/32 जाति जाट

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरुस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 25 सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरुस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत् 2074-2077 का अवलोकन करने पर पाया गया कि ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय लिपिकीय

भूलवश प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्से तय किये जाने में लिपिकीय भूल से हिस्से गलत दर्ज हो गये इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खसरा नंबर 71, 70, 72 में हिस्से में शुद्धि करवाने हेतु सहमति पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 25 को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रावर तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 71 रकबा 11.5930 व खसरा नंबर 70 व 72 रकबा 2.7749 में जमाबंदी संवत् 2074-2077 में दुरूस्ती की जाकर उपरोक्त प्रस्तावति हिस्सा शुद्धि के अनुसार हिस्से दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा